न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

प्रकरण-43/17

निर्णय :- दिनांक 25.9.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.7.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई, गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा, संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का निभेरा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल केदारसिंह पुत्र छुन्नासिंह कौम ठाकुर निवासी बरनाला तहसील राजाखेडा ने आराजी खसरा नम्बर 70 किस्म आबादी रकबा 0.05 वाके ग्राम बरनाला पर आबादी की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नही किया गया। ततपश्चात् रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्व होतो है।

अत: राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है। खडी फसल जब्त सरकार कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते है। शरह लगान 0.30 की 50 गुनी से शास्ति राशि 15/- रूपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(पुरूषोत्तमलाल)
आर0टी0एस0
तहसीलदार, राजाखेडा

राशि 15
पृष्ठ सं0 49 क्रम सं0 02
दर्ज की गई
(हस्ताक्षर) 6/2/18
TRA
राजाखेडा